पुनरीक्षण प्रकरण कमांक— /14

प्रस्तुति दिनांक—30/09/14

माननीय अध्यक्ष महो. राजस्व मंडल, ग्वालियर (म.प्र.) के समक्ष

R-3624-PBR/14

इकबाल हूसैन पिता तवक्कल हुसैन,
उम्र—40 साल, धंधा—व्यापार,
पता—247/6, गंगा कॉलोनी, धार रोड, इंदौर ....आवेदक

विरूद्ध

1. नरेश पिता श्री निरंजनदास जैन,
   उम्र—व्यस्क, धंधा—व्यापार,
   पता—25—26, सिरपुर पैलेस कॉलोनी, धार रोड इंदौर
2. देवा कॉलोनाईजर
   अब्दुल हफीज
   पप्पू एवम् अब्दूल वहाब पिता अब्दूल शकूर,
   उम्र—व्यस्क,
   पता—110, मयूर नगर ग्राम बांक
   तहसील व जिला इंदौर..प्रत्यर्थीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भूराजस्व संहिता

माननीय महोदय,

विद्वान अपर तहसीलदार तहसील इंदौर के द्वारा प्रकरण कमांक 03/अ—13/2013—2014 में पारित आदेश दिनांक 25/08/14 जिसके द्वारा आवेदक का धारा 52 (2) म.प्र. भूराजस्व संहिता का आवेदनपत्र निरस्त किया गया है से असंतुष्ट एवं व्यथित होकर आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका अनेकानेक ठोस कानूनी आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3624-PBR/14 **जिला** इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.10.2015	आवेदक की ओर से श्री रूपेश कुमार अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। अपर तहसीलदार के आदेश दिनांक 25-9-2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अपर तहसीलदार द्वारा इस निष्कर्ष के साथ स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है कि जिस आदेश के विरुद्ध स्थगन चाहा गया है, उसमें आवेदक पक्षकार नहीं है, जिससे कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	(हस्ताक्षर) 20/10/15

[कृ. प. उ.